



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला
तहसील
आवेदन क्र०
प्रमाणपत्र क्र०

सबनऊ
सदर
211570030248320
273213051009

जारी दिनांक: 29/12/2021

प्रमाणित किया जाता है कि

पुनःपुनी
माता का नाम
निवासी
ग्राम
तहसील
जिला

राकेश विश्वकर्मा/RAKESH
VISHWAKARMA
श्री स्वाम बिहारी विश्वकर्मा
श्रीमती तारा विश्वकर्मा
22/725, सेक्टर 22, इंदिरा नगर



सदर
सबनऊ

उत्तर प्रदेश राज्य की लोहार जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि राकेश विश्वकर्मा/RAKESH VISHWAKARMA पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (पदा संशोधित) की अनुसूची २ (जिसमें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं आसमादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० जनवरी २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से अभ्यसित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५३ से तथा बहिष्प फूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



ANAND
KUMAR
TIWARI
Digitally Signed by ANAND
KUMAR TIWARI
On Personal Cert
CN=ANAND KUMAR
TIWARI, L=LUCKNOW,
S=UTTAR PRADESH

सबन अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
सदर, सबनऊ
दिनांक: 29/12/2021